विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड पुलिस में आरक्षी जनपदीय पुलिस एवं पीएसी के पद पर कुशल खलाड़ियों की भर्ती।

उत्तराखण्ड पुलिस के कुशल खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों के सापेक्ष आरक्षी जनपदीय पुलिस/महिला एवं पीएसी के **65 पदों** पर भर्ती हेतु पार्श्वांकित खेलों के आवेदन पत्र विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते हैं। इन पदों की संख्या को आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र, जिस पर पासपोर्ट साइज को फोटो लगा हो **दिनांक 20–11–2010** तक अपने खेल एवं शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ भेजें। आवेदन पत्र समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रारूप को टंकित कराकर प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र उत्तराखण्ड पुलिस की **वेबसाईट uttaranchalpolice.com** पर भी उपलब्ध है। यदि आवेदन पत्र विज्ञप्ति प्रारूप में न हो तो आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है। आवेदन पत्रों का परीक्षण करने के उपरान्त निर्धारित मापदण्ड व अर्हताऐं पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ही सम्बन्धित विधा/खेल के प्रदर्शन/ट्रायल हेतु सूचित किया जायेगा। कुशल खिलाड़ियों का चयन उनकी खेल उपलब्धियों के अतिरिक्त चयन समिति के समक्ष किये गये खेल प्रदर्शन के आधार पर किया जायेगा।

पुलिस खेलों के अन्तर्गत् होने वाले खेल	
1	एथलेटिक्स पुरूष/महिला
2	बास्केटबाल(पुरूष)
3	बांक्सिग (पुरूष/महिला)
4	फुटबाल (पुरूष)
5	जिम्नास्टिक (पुरूष/महिला)
6	हैण्डबाल (पुरूष)
7	हॉकी(पुरूष)
8	जूडो(पुरूष/महिला)
9	कबड्डी (पुरूष)
10	शूटिंग(पुरूष/महिला)
11	रैसलिंग(पुरूष/महिला)
12	वेटलिफ्टिंग(पुरूष/महिला)
12	बॉलीबाल (पुरूष)
14	तैराकी (पुरूष)
15	रोईग(पुरूष/महिला)
16	क्याकिंग एण्ड कैनोईग (पुरूष/महिला)
17	इक्वेस्टेरियन (पुरूष)

उत्तर प्रदेश शासन गृह(पुलिस) अनुभाग–10 संख्याः 01/6–पु0–10–98, लखनऊ, दिनांक 02 जनवरी 1999 के अनुसार– उत्तर प्रदेश पुलिस बल के उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस, प्लाटून कमाण्डर पीएसी, कान्सटेबल नागरिक पुलिस तथा कान्सटेबल पीएसी के पदों पर भर्ती हेतु निर्गत कार्यकारी आदेश संख्याः 1138/6–पु0–10–98–1200(32)/98, दिनांक 19–5–1998 के अनुक्रम में कार्मिक अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्याः 22/15/198–कार्मिक–2, दिनांक 23–12–1993 द्वारा भर्ती संचालित की जायेगी।

कुशल खिलाड़ियों की परिभाषाः–

खेल की पार्श्वांकित विधाओं से सम्बन्धित निम्नांकित अर्हता पूरी करने वाले खिलाड़ियों को ही **"कुशल खिलाड़ी"** की परिभाषा में माना जायेगा।

उत्तराखण्ड पुलिस में आरक्षी जनपदीय पुलिस एवं पीएसी के पद पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती हेतु निर्धारित अर्हताऐंः–

1– भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित सीनियर/जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपने राज्य/संस्था की ओर से भाग लेकर व्यक्तिगत् खेलों में स्वर्ण, रजत या कॉस्य पदक जीता हो अथवा टीम खेल में भाग लिया हो।

2– अपने विश्वविद्यालय की ओर से अखिल भारतीय प्रतियोगिता में व्यक्तिगत् खेलों में स्वर्ण, रजत या कॉस्य पदक जीता हो अथवा टीम खेल में भाग लिया हो।

3– अखिल भारतीय स्कूल खेलकूद संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में अपने राज्य से भाग लेकर व्यक्तिगत् खेलों में स्वर्ण, रजत या कॉस्य पदक जीता हो अथवा टीम खेल में भाग लिया हो।

स्थाई निवासः– आवेदक को उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु शासनादेश संख्याः 2588/1–4/सा0प्र0/2004, दिनाकं 20–11–2001 के अनुसार निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

आयु में छूटः–

पुरूष आरक्षीः– दिनांक 01–9–2010 **को 18 वर्ष से कम तथा** 22 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

महिला आरक्षीः– दिनांक 01–9–2010 **को 18 वर्ष से कम तथा 25 वर्ष** से अधिक नहीं होना चाहिए।

(विशेष परिस्थितियों में शासनादेश के अनुरूप कुशल खिलाड़ियों को न्यूनतम आयु सीमा में 02 वर्ष तथा अधिकतम सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

उक्त पद पर भर्ती होने वाले कुशल खिलाड़ियों को किशोरावस्था में प्रोत्साहन देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा में 02 वर्ष की छूट इस आधार पर प्रदान की जायेगी कि उक्त छूट पाकर भर्ती हुए खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स प्रशिक्षु के रूप में रखा जायेगा तथा उसे शासन द्वारा निर्धारित स्टाईपेण्ड की धनराशि प्रतिमाह अनुमन्य होगी। शासकीय सेवा की निर्धारित न्यूनतम आयु प्राप्त कर लेने पर तथा अन्य निर्धारित अर्हताओं की पूर्ति कर लेने पर उन्हें शासकीय सेवा में लिया जायेगा। स्पोर्ट्स प्रशिक्षु को नियमित शासकीय सेवा लिये जाने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा में रखा जायेगा तथा इन प्रशिक्षुओं के सम्बन्ध में पैरा–9 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त पदों पर भर्ती किये गये कुशल खिलाड़ियों को अधिकतम आयु सीमा में वर्तमान में विद्यमान नियमों के अनुसार पॉच वर्ष तक छूट अनुमन्य होगी।

शैक्षिक योग्यताः–

आरक्षी :– जूनियर हाईस्कूल या समकक्ष।

शारीरिक मापदण्ड(पुरूष)

(क) ऊॅचाई

सामान्य/पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	– 165 से0मी0
पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	– 160 से0मी0
अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	– 157.5 से0मी

(ख) सीने की माप	बिना फुलाये	फुलाने पर
सामान्य/पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	78.8 से0मी	83.8 से0मी0
पर्वतीय क्षेत्र/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	76.3 से0मी0	81.3 से0मी0

शारीरिक मापदण्ड(महिला)

(क) ऊॅचाई

सामान्य/पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	– 152 से0मी0
पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	– 147 से0मी0
अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	– 147 से0मी

(ख) वजन न्यूनतम 45 कि0ग्रा0 होना अनिवार्य है।
(विशेष परिस्थितियों में शासनादेश के अनुरूप पुरूष अभ्यर्थी के लिए ऊँचाई में 10 से0मी0, महिला अभ्यर्थियों के लिए 08 से0मी0 तथा पुरूष सीने की माप में 05 से0मी0, महिलाओं के भार में 05 कि0ग्रा0 की छूट प्रदान की जा सकती है।

आवेदन की तिथि:--

आवेदन पत्र विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से **दिनांक 20–11–2010** के मध्य किसी भी कार्यदिवस में पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी, उत्तराखण्ड के 40वीं वाहिनी पीएसी जनपद हरिद्वार स्थित कार्यालय में पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत् रूप से जाकर भी जमा कराये जा सकते हैं। **दिनांक 20–11–2010** के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

परीक्षा शुल्क:–

सामान्य / पिछड़ी जाति के आवेदकों के लिए रूपये 60–00 तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए रूपये 15–00 का परीक्षा शुल्क ट्रेजरी चालान के माध्यम से लेखाशीर्षक–0055–पुलिस प्राप्तियॉ–103 फीसे जुर्माने और जब्तियॉ–03 अन्य फीसं जुर्माना इत्यादि के अधीन राजकीय कोष में जमा करना अनिवार्य होगा।

खेल स्तर का परीक्षण:--

आवेदन पत्रों की समीक्षा के उपरान्त अर्ह अभ्यर्थियों का सम्बन्धित खेल विधा में परीक्षण / ट्रायल चयन समिति द्वारा लिया जायेगा एवं ट्रायल में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों पर ही विचार किया जायेगा। अखिल भारतीय पुलिस खेलों में शामिल खेलों को प्राथमिकता दी जायेगी। विगत् 02 वर्ष में किये गये प्रतिभाग एवं विगत वर्ष के राष्ट्रीय स्तर के प्रमाण पत्रों में वर्णित समय, दूरी, वजन के आधार पर वरीयता दी जायेगी।

शारीरिक परीक्षा:--

कुशल खिलाड़ियों की नियुक्ति के पूर्व उक्त पदों के लिए अन्यथा प्राविधानित चिकित्साधिकारी द्वारा शारीरिक / मानसिक स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, परन्तु यह चयन बोर्ड के विवेक पर होगा कि इन पदों पर भर्ती के लिए आवश्यक शारीरिक परीक्षाओं में से कतिपय या सभी शारिरिक परीक्षाओं में लिखित आदेश द्वारा छूट प्रदान कर दें।

स्वास्थ्य परीक्षण:--

चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सा बोर्ड द्वारा कराया जायेगा तथा स्वास्थ्य परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति हेतु अर्ह माना जायेगा।

चरित्र सत्यापन:--

उपरोक्तानुसार अर्ह पाये गये सभी अभ्यर्थियों का तत्समय प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। चरित्र सत्यापन में अर्ह अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक नॉन जुडीशियल स्टॉम्प पेपर पर पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र(एफिडेविड) देना होगा। शपथ पत्र का प्रारूप चयन समिति द्वारा अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र में तथ्यों को छुपाया जाना अथवा असत्य विवरण दिया जाना ज्ञात होता है तो न केवल अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जायेगा वरन् उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। शपथ पत्र में मिथ्या तथ्यों का अंकन पाये जाने या निर्धारित वांछित सूचना न देने के कारण निरस्त किये जाने पर किसी न्यायालय में प्रतिरोध करने का अधिकार किसी भी अभ्यर्थी / व्यक्ति / संस्था को नहीं होगा।

नियुक्तिः–

उक्त सभी परीक्षणों में सफल अभ्यर्थियों को नियमानुसार नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

परिवीक्षाः–

शासनादेशानुसार कुशल खिलाड़ियों के रूप में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। ऐसे चयनित खिलाड़ी यदि परिवीक्षा के दौरान अपने खेल का स्तर व कौशल को बनाये नहीं रखते हैं, तो उनकी परिवीक्षा की अवधि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अधिकतम दो बार बढ़ाई जा सकती है और यदि इस बढ़ी हुई अवधि में नियुक्ति प्राधिकारी, सम्यक विचारोपरान्त इस मत के हैं कि उक्त पदधारक कुशल खिलाड़ी ने अपने खेल स्तर व कौशल को बनाये नहीं रखा तो ऐसे पदधारक कुशल खिलाड़ी को नियुक्ति प्राधिकारी सेवा से डिस्चार्ज कर सकेगा और इस प्रकार डिस्चार्ज करने में नियमानुसार कोई अनुशासनिक कार्यवाही आवश्यक नहीं होगी।

चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा। अपूर्ण/अनुपयुक्त एवं निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

19/1

(आलोक शर्मा)
पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी
हरिद्वार।

उत्तराखण्ड पुलिस में आरक्षी जनपदीय पुलिस एवं पीएसी के पद पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती ——————

अनुक्रमांक...
(कार्यालय प्रयोग हेतु)

1. अभ्यर्थी का पूरा नाम :
हिन्दी में ....
अंग्रेजी में ....

आवेदक अपनी नवीनतम पासपोर्ट फोटो (स्वप्रमाणित) यहाँ पर चस्पा करें।

2. पिता का नाम ....
3. स्थायी पता ....
....
....
4. पत्र व्यवहार का पता ....
....
....
5. जन्म तिथि :
अंको में .... शब्दों में ....
....
6. नागरिकता ....धर्म.........................जाति.......................उपजाति.....................
7. शारीरिक माप :
ऊँचाई (सेमी0 में) ....

सीना (सेमी0 में) बिना फुलाये ....फुलाने पर ....

8. शैक्षिक योग्यता :

परीक्षा का नाम	बोर्ड / वि0वि0 का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	संस्था का नाम
जू0हाई स्कूल				
हाई स्कूल				
इण्टर				
स्नातक				
स्नातकोत्तर				
अन्य				

9. खेल की सर्वोच्च तीन उपलब्धियों का विवरण :

वर्ष	प्रतियोगिता का विवरण	स्थान	प्राप्त स्थान/पदक

10. परीक्षा शुल्क : ट्रेजरी चालान संख्या.. दिनांक.............. .... धनराशि .... बैंक का नाम.. ....

11. संलग्नक (संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्रों का विवरण) :–

स्थान .... आवेदक के हस्ताक्षर ....
....
दिनांक............................... नाम ....

प्रमाण पत्र

मैं ....पुत्र/पुत्री श्री .... एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में अंकित की गयी सभी सूचनायें मेरी जानकारी के अनुरूप सत्य हैं तथा किसी तथ्य को छुपाया नही गया है। यदि आवेदन पत्र में अंकित तथ्य गलत/असत्य पाये जाते है तो मेरे विरूद्ध जो भी वैधानिक अथवा अन्य कार्यवाही की जायेगी वह मुझे मान्य होगी।

मैं यही शपथपूर्वक प्रमाणित करता हूँ कि मेरे विरूद्ध कोई अपराधिक मामला भारत वर्ष में कहीं भी पंजीकृत नही हुआ है और मैं ऐसे किसी अपराधिक मामलें में वांछित/सजायाफ्ता नहीं हूँ तथा मेरे विरूद्ध कोई अभियोग विवेचनाधीन या विचाराधीन नही है।

(आवेदक के हस्ताक्षर)